प्रेस नोट
दिनांक 18.11.2025, थाना- कौड़िया
जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्याभियुक्त 1. कमल बहादुर सिंह पुत्र अम्बिका सिंह व 2. भरत सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासीगण ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को बिछुड़ी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी तेज बहादुर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 पश्चिम पुरवा मौजा जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी जिसमें बताया गया कि दिनांक 19.05.2025 को सुबह उनका पुत्र बब्लू उर्फ श्याम अपने मुर्गी फार्म हाउस पर सो रहा था। तभी गांव के कमल बहादुर सिंह, भरत सिंह, अन्नू सिंह उर्फ राजेश सिंह (पुत्रगण अम्बिका सिंह) एवं राहुल सिंह (पुत्र अन्नू सिंह) एकराय होकर वहां आए और पुरानी रंजिश के चलते उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा उसके हाथ-पैर और नाक दबाकर जबरन मुंह में जहर पिला दिया और फरार हो गए। उनका बेटा बबलू किसी तरह घर आया और घटना की जानकारी दी। जिसके बाद तत्काल उसे जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.11.2025 को थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. कमल बहादुर सिंह पुत्र अम्बिका सिंह व 2. भरत सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासीगण ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को बिछुड़ी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कमल बहादुर सिंह उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र अम्बिका सिंह
02. भरत सिंह पुत्र अम्बिका सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
02. का० नीलेश याद
03. का0 विपिन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.11.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-417/2025 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.2025 को वादी श्री सुनरा देवी पत्नी छोटेलाल नि0 ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि गाँव के ही विपक्षीगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह ने उनके पुत्र द्वारा स्ट्रीट लाइट जला देने की बात पर गाली गलौज देने लगे जिसपर वादिनी के ससुर जगदम्बा प्रसाद पुत्र गजराज उम्र करीब 70 वर्ष ने गाली गलौज देने से मना किया तो दोनो विपक्षियों द्वारा ससुर को ईंट व डण्डों से मारा पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। इलाज हेतु उन्हे अयोध्या मेडिकल कॉलेज लेकर गये जहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.11.25 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप
02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह नि0गण ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 417/2025 धारा 105 बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. मु0आ0 अरुण शंकर सिंह
03. मु0आ0 लक्ष्मीकान्त कन्नौजिया
04. म0का0 किरन चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 18.11.2025
जनपद – गोण्डा

यातायात माह-नवम्बर 2025 के अंतर्गत टेम्पो व ई-रिक्शा चालकों को किया गया जागरूक-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में "यातायात माह-नवम्बर 2025" के अंतर्गत आज दिनांक 18.11.2025 को प्रभारी यातायात उ0नि0 जगदम्बा गुप्ता एवं टीएसआई श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा शहर क्षेत्र में संचालित टेम्पो एवं ई-रिक्शा चालकों के मध्य व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 114 वाहन चालक उपस्थित रहे। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, ओवरलोडिंग से परहेज, निर्धारित गति सीमा में वाहन संचालन, गलत दिशा में न चलने, रिफ्लेक्टर टेप के अनिवार्य उपयोग, स्टैण्डर्ड पार्किंग व्यवस्था तथा नशे की अवस्था में वाहन न चलाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तारपूर्वक प्रदान की गईं तथा यातायात जागरूकता को और प्रभावी बनाने हेतु 120 पम्पलेट भी वितरित किए गए। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि स्वयं तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण संदेश –
सड़क सुरक्षा के लिए पालन करें ये नियम
1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
3. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना एवं निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
6. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
7. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएँ।
8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
9. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएँ।
10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें।
11. नशा कर वाहन बिल्कुल न चलाएँ।
12. सड़क पर खतरनाक स्टंट न करें।
13. दुर्घटना की स्थिति में घायल की मदद करें एवं तुरंत 112 पर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 18.11.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-521/2025, धारा-191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 117(2), 109(1), 110, 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त- भगवान शंकर सिंह उर्फ उत्तम सिंह पुत्र स्व0 गौरी शंकर नि0 शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को नेवारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.2025 को वादी मंजू देवी द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि लाला बगिया पुल पर पुरानी रंजिश की पंचायत हो रही थी जहां उसके पति आनन्द यादव तथा पटीदार किशनलाल यादव व दशरथ यादव पर विपक्षीगणों द्वारा असलहे से फायर कर तथा भाला/धारदार हथियार/लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया गया । हमले में आनन्द यादव के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें, तथा किशनलाल व दशरथ को भी गंभीर धारदार चोटें आईं है। मौके पर आए ग्रामीणों द्वारा घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से आनन्द यादव को गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर कर दिया गया । वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 18.11.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त भगवान शंकर सिंह उर्फ उत्तम सिंह पुत्र स्व0 गौरी शंकर नि0 शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को नेवारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भगवान शंकर सिंह उर्फ उत्तम सिंह पुत्र स्व0 गौरी शंकर निवासी शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-521/2025, धारा 191(2),191(3),190,115(2),118(1),117(2),109(1),110,352,351(3) थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 521/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 117(2), 109(1), 110, 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 धारा 147, 148, 149, 307, 326, 504, 506 व 3(2)(V) भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।
03. 480/2024 धारा 109, 352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 वीरपाल सिंह
02. हे0का0 यशवंत प्रताप सिंह
03. हे0कां0 कमलेश यादव
04. कां0 अजय प्रताप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।